समग्रता समझौता

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को आगे से **'स्वामी'** के रूप में माना जाएगा।

और

..... को आगे से **'बिडर/ठेकेदार'** माना जाएगा।

प्रस्तावना

स्वामी, संगठनात्मक पद्धतियों के तहत (संक्षेप में, ठेके की प्रवृत्ति) के लिए ठेका देना चाहता है। स्वामी, अपने बिडरों/ठेकेदारों के साथ भूमि, नियम, विनियम, संसाधनों का लाभपूर्ण उपयोग, और उनके साथ अपने संबंधों में स्वच्छता/पारदर्शिता से संबंधित सभी कानूनों का अनुपालन करने को महत्व देता है।

स्वामी, संबद्ध सभी पार्टियों द्वारा समग्रता समझौते के अनुपालन को सुनिश्चित करने के क्रम में निविदा-प्रस्तुति के स्तर पर निविदा प्रक्रिया के अनुश्रवण और ठेके के निष्पादन के लिए आई.ई.एम. की नाम-सूची में से किसी व्यक्ति-विशेष को स्वतंत्र बाह्य परिवीक्षक के रूप में नामित करेगा।

अनुभाग 1 - स्वामी की प्रतिबद्धता :

(1) स्वामी भ्रष्टाचार के निर्मूलन एवं निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाने के लिए आवश्यक सभी उपायों के अनुपालन हेतु स्वयं कटिबद्ध रहता है।

(ए) स्वामी का कोई कर्मचारी, वैयक्तिक रूप से या पारिवारिक सदस्यों द्वारा, निविदा या ठेके के निष्पादन के संबंध में, स्वयं के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, कोई सामग्री या सामग्री से अन्य कोई लाभ हेतु, जिसके लिए वह विधिक रूप से हकदार न हो, माँग नहीं करेगा/वचन नहीं लेगा/स्वीकार नहीं करेगा।

(बी) स्वामी, निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बिडरों के साथ निष्पक्ष एवं तर्कसंगत व्यवहार करेगा। मालिक खासकर, निविदा प्रक्रिया के पहले और उसके दौरान, सभी बिरों को सही जानकारी देगा, और किसी बिडर को ऐसी गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी नहीं देगा, जिससे बिडर को निविदा प्रक्रिया या ठेके के निष्पादन के संबंध में कोई लाभ प्राप्त हो सके।

(सी) स्वामी, जानकारी रखनेवाले पक्षपातयुक्त सभी व्यक्तियों को इस प्रक्रिया से हटा देगा।

(2) स्वामी यदि, अपने किसी कर्मचारी के व्यवहार के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करता है, जो भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम/प्रयोज्य कानून के तहत जुर्म हो, या इस संबंध में वास्तविक रूप से कोई शंका हो, तो मालिक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी सूचना देगा और इसके अतिरिक्त उस कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी कर सकता है।

अनुभाग 2 - बिडरों/ठेकेदारों की प्रतिबद्धता :

(1) बिडर/ठेकेदार भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए आवश्यक सभी उपायों को अपनाने के लिए कटिबद्ध रहता है और निविदा प्रक्रिया में भाग लेते समय/ठेके के निष्पादन के दौरान (बिडर के मामले में, जिसे ठेका दिया गया हो) निम्नलिखित सिद्धातों के अनुपालन हेतु कटिबद्ध रहता है।

(ए) बिडर/ठेकेदार, निविदा प्रक्रिया या ठेके के निष्पादन के दौरान, बदले में कोई सामग्री या किसी भी प्रकार का लाभ, जिसके लिए वह विधिक रूप से हकदार न हो, पाने या स्वामी की निविदा प्रक्रिया या ठेके निष्पादन को निष्प्रभावित करने हेतु, प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्त संगठन द्वारा, स्वामी के किसी कर्मचारी को, जो निविदा प्रक्रिया या ठेके के निष्पादन से जुड़े हो या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को कोई प्रस्ताव नहीं करेगा, वचन नहीं देगा या कोई वस्तु नहीं देगा।

(बी) बिडर/ठेकेदार, अन्य बिडरों के साथ, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से, कोई गुप्त करार या समझौता नहीं करेगा। यह प्रतिद्वंद्विता को रोकने, या बिडिंग प्रक्रिया में लिखित चुनौती देने को लागू करने या स्वामी की निविदा प्रक्रिया या ठेके के निष्पादन के निष्प्रभावित करने हेतु

खासकर दर, विनिर्देश, प्रमाणीकरण, सहायक करारों, बिड प्रस्तुत करने या न प्रस्तुत करने या अन्य कार्यों पर लागू होगा।

(सी) बिडर/ठेकेदार, भ्रष्टाचार उन्मूलन/प्रयोज्य कानून के अधीन, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ कार्य करने में अनुचित लाभ प्राप्त करने या किसी अन्य कारण आदि से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के किसी कर्मचारी को कोई रिश्वत देने या अवैध लाभ देने जैसे अपराध नहीं करेगा। आगे, बिडर/ठेकेदार, स्वामी द्वारा व्यापार संबंधों के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गयी योजनाएँ, तकनीकी प्रस्ताव और व्यापार विवरण संबंधी सूचना सहित कोई सूचना या कागजात का, प्रतिद्वंद्विता या वैयक्तिक लाभ के आशय से अनुचित उपयोग नहीं करेगा या उसे किसी को नहीं देगा।

(डी) विदेश का कोई बिडर/ठेकेदार, अपने अभिकर्ता/प्रतिनिधि, यदि भारत में कोई हो, तो उसका नाम एवं पता घोषित करेगा। ऐसे ही भारत की राष्ट्रीयता रखनेवाला बिडर/ठेकेदार, विदेशी आपूर्तिकार/ठेका अभिकरण, यदि कोई हो, तो उसका नाम व पता सूचित करेगा। आगे बिडर/ठेकेदार, 'विदेशी आपूर्तिकार/ठेका अभिकरणों के भारतीय अभिकर्ताओं' के दिशा-निर्देशों में सूचित अनुसार विवरण, जहाँ प्रयोज्य हो, प्रस्तुत करेगा। आगे, दिशा-निर्देशों में सूचित अनुसार भारतीय अभिकर्ताओं/ प्रतिनिधियों को किये गये सभी भुगतान भारतीय रुपयों में ही होने चाहिए। 'विदेशी आपूर्तिकार/ठेका अभिकरणों' के भारतीय अभिकर्ताओं के दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(ई) बिडर/ठेकेदार, अपना बिड प्रस्तुत करते समय, ठेका देने के संबंध में अभिकर्ताओं, दलालों या किसी अन्य मध्यवर्ती को किये गये या करने के लिए प्रतिबद्ध किसी भुगतान या कोई भुगतान करने की इच्छा रखता हो, तो उस संबंध में सूचना देगा।

(एफ) सत्यनिष्ठा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाला बिडर/ठेकेदार आई ई एम को मामलों की जानकारी देते समय न्यायालयों में नहीं जायेंगे और वह मामले पर उनके निर्णय की प्रतीक्षा करेगा।

(2) बिडर/ठेकेदार, उपर्युक्त जुर्म करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं करेगा या ऐसे जुर्मों के लिए सह-अपराधी नहीं बनेगा।

<u>अनुभाग 3 - निविदा प्रक्रिया से अनर्हता एवं भावी ठेकों से हटा देना :</u>

(1) स्वामी, यदि उपलब्ध प्रमाण पर उपयुक्त विचार के पश्चात घोषित करता है कि यथोचित संदेह संभव है, तो माना जाता है कि अतिक्रमण किया गया।

(2) यदि बिडर/ठेकेदार ने, ठेका देने से पहले या ठेका देने के बाद, उपर्युक्त धारा 2 के उल्लंघन द्वारा या किसी अन्य रूप में कोई अतिक्रमण किया, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर संदेह हो, तो स्वामी बिडर को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य या यदि, ठेका पहले ही दिया गया तो, निविदा/संविदा के संबद्ध संविदा की सामान्य शर्तों के अधीन उपलब्ध अन्य उपायों के पूर्वाग्रह के बिना उसे रद्द कर सकता है।

(3) यदि बिडर/ठेकेदार ने, उपर्युक्त धारा 2 के अधीन किसी शर्त के उल्लंघन के द्वारा या किसी रूप में कोई अतिक्रमण किया हो, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर संदेह हो, तो स्वामी, बिडर/ठेकेदार को भावी निविदाओं/ठेका देने से बहिष्कार करने का हकदार है। अतिक्रमण की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए स्वामी द्वारा दंड और बहिष्कार की अवधि तय किये जायेंगे। अतिक्रमण की गंभीरता मामले की स्थिति, खासकर अतिक्रमणों की संख्या, कंपनी के अंतर्गत बिडर/ठेकेदार के पदानुक्रम अतिक्रमणकारी व्यक्तियों की स्थिति और क्षति की राशि के आधार पर तय की जायेगी।

(4) यदि ऐसा पाया जाता है कि बिल की अंतिम भुगतान के बाद लेकिन सत्यनिष्ठा समझौते की वैधता समाप्ति से पहले ठेकेदार ने अनुबंध के निष्पादन के दौरान उपरोक्त धारा 2 के तहत किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है तो प्रमुख उस ठेकेदार को भावी निविदाओं/अनुबंधों से उसे बाहर रखने का हकदार है|

(5) बाहर रखने का यह प्रतिबंध छ: महीने (6) से कम और अधिकतम तीन वर्ष (3) से अधिक नहीं होगी|

(6) यदि निविदाकर्ता/ठेकेदार यह साबित करता है कि उसने प्रमुख के नुकसान की भरपाई कर दी है और एक बेहतर भ्रष्टाचार प्रणाली लागू किया है, तक प्रमुख उस पर लगे बहिष्करण प्रतिबंध की अवधि से पूर्व उसे बाहर रखने का प्रतिबंध समाप्त कर सकता है|

अनुभाग 4 – नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति:

(1) उपरोक्त की धारा 3 के अनुसार यदि प्रमुख ने निविदाकर्ता को निविदा आबंटन प्रक्रिया के पूर्व ही अयोग्य कर दिया है तो बयाना जमा राशि (EMD)/बोली प्रतिभूति जमा राशि, यदि कोई हो, तो वह निविदा आमंत्रण की शर्तों के अनुरुप प्रस्ताव के साथ जब्त कर ली जाएगी| उपरोक्त धारा 3 में उल्लेखित अनुसार प्रमुख द्वारा इसके अलावा निविदाकर्ता को भावी निविदा प्रक्रियाओं से बाहर किया जा सकता है|

(2) उपरोक्त की धारा 3 के अनुसार यदि प्रमुख ने ठेका को समाप्त कर दिया हो अथवा उपरोक्त की धारा 3 के अनुसार ठेके को समाप्त करने का हक प्रमुख को है, तो ठेकेदारके द्वारा जमा प्रतिभूति/निष्पादन बैंक गारंटी यदि कोई हो, तो ठेके के लिए संबद्ध सामान्य शर्तों के अनुरुप प्रमुख को दिए गए बिना किसी पूर्वाधिकार एवं उपाय के आ टी टी/ठेके की शर्तों के अनुसार उसे जब्त कर लिया जाएगा| यह उपरोक्त धारा 3 में उल्लेखित निविदाकर्ता को प्रमुख द्वारा किए गए भावी निविदाओं से बहिष्करण के अतिरिक्त होगा|

अनुभाग 5 – पूर्व की गलतियाँ:

(1) निविदाकर्ता घोषणा करता है कि उसकी पूर्ण जानकारी के अनुसार, पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान किसी देश अथवा किसी देश की सरकार के द्वारा किसी किसी कंपनी अथवा संगठन अथवा संस्थान में भ्रष्टाचार का मामला आया है, जो उसे इस निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए बाध्य करता है|

(2) यदि निविदाकर्ता इस मामले में असत्य विवरण देता है तो वह निविदा प्रक्रिया के लिए अयोग्य हो सकता है| यदि ठेका पहले ही दिया जा चुका हो तो ऐसे कारणों से वह समाप्त किया जा सकता है|

अनुभाग – 6 सभी निविदाकर्ताओं/ठेकेदारों/सह-ठेकेदारों के साथ समानता का व्यवहार:

(1) निविदाकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों) को यह हलफनामा देना होगा कि जब वे कोई सह-ठेकेदार को नियुक्त करेंगे तो पहले उनसे सत्यनिष्ठा अनुबंध करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और ऐसे सह-ठेका देने के लिए प्रमुख की अनुमति प्राप्त करेंगे|

(2) प्रमुख सभी निविदाकर्ताओं/ठेकेदारों के साथ समान तरह से ही अनुबंध करेगा|

(3) प्रमुख उस सभी निविदाकर्ताओं को अयोग्य घोषित कर देगा जो अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे अथवा अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे|

अनुभाग 7 – उल्लंघन करने वाले निविदाकर्ता(ओं/ठेकेदार(रों)/सह-ठेकेदार(रों) पर अपराधिक आरोप:

यदि प्रमुख के संज्ञान में निविदाकर्ता/ठेकेदार/सह-ठेकेदार अथवा उसका कोई कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि अथवा सहयोगी द्वारा भ्रष्टाचार का मामला आता है अथवा प्रमुख को इस संदर्भ में पर्याप्त आशंका हो तो प्रमुख इसकी सूचना आर आई एन एल के मुख्य सतर्कता अधिकारी को दे सकता है|

<u>अनुभाग 8 – स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर(रों)(आई ई एम एस):</u>

(1) प्रमुख, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर की नियुक्ति करेगा| स्वंतंत्र बाह्य मॉनीटर उसे भेजे गए अथवा लिखित रुप से सभी विवरणों के साथ सीधे उसे भेजी गई शिकायतों के मामलों की समीक्षा स्वतंत्रतापूर्वक करेगा कि क्या और किस तरह से संबद्ध पार्टी ने इस सत्यनिष्ठा अनुबंध के प्रावधानों का अनुपालन किया है|

(2) किसी भी व्यक्ति/अभिकरण द्वारा सत्यनिष्ठा अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन के मामले में, पीड़ित पक्ष द्वारा आर आई एन एल के सत्यनिष्ठा अनुबंध के नोडल अधिकारी के पास शिकायत/अभ्यावेदन अथवा सीधे स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर के पास शिकायत/अभ्यावेदन दिया जा सकता है| नोडल अधिकारी ऐसे प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों को स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर के पास जाँच के लिए भेजेगा| इसी प्रकार, आर आई एन एल अनुपालन न होने की आशंका होने पर किसी निविदाकर्ता अथवा सभी निविदाकर्ताओं पर नोडल अधिकारी के माध्यम से स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है| निविदा प्रक्रिया से जनित शिकायतों से निपटने में वांछित पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र बाह्य मॉनीटरों का पूर्ण पैनल द्वारा मामले की जांच की जानी चाहिए और उनके द्वारा अभिलेखों की जाँच करके अपना संयुक्त सिफारिश प्रबंधन को दिया जाना देना चाहिए|

(3) स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर दोनों पक्षों के अनुदेशों को सुनने लिए नहीं बल्कि निष्पक्षता/स्वतंत्रता से अपना काम करने के लिए होता है| स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर अपने प्रतिवेदन आर आई एन एल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करेंगे|

(4) निविदाकर्ता(ओं)/ठेकेदारों को स्वीकार करना होगा कि स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर को बिना किसी व्यवधान के प्रमुख के उन सभी, यहां तक कि निविदाकर्ता/ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए निविदाओं/दस्तावेजों को देखने का अधिकार है| निविदाकर्ता/ठेकेदार भी स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर को उसके अनुरोध और वैध इच्छा जताने पर निविदा/ठेका के दस्तावेज बिना किसी प्रतिबंध और शर्त के स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर को उपलब्ध कराएंगे| यह स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर द्वारा बिना प्रतिबंध और बिना किसी शर्त निविदा/ठेका के दस्तावेज देखने का मामला सह-ठेकेदारों पर भी लागू होता है| स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर के अनुबंध की बाध्यता है कि वह निविकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों)/सह-ठेकेदार(रों) की सूचनाओं और दस्तावेजों की गोपनीयता को बनाए रखे|

(5) आर आई एन एल और उसके समकक्ष पार्टियों के बीच सत्यनिष्ठा अनुबंध के दायरे में आने वाले मामलों की बैठकों में शामिल होना स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर अधिकार होगा|

(6) जैसे ही स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर को इस अनुबंध के उल्लंघन का पता लगता है अथवा उसे विश्वास होता है, वह प्रमुख को सूचित करेगा और प्रमुख से इसे समाप्त करने अथवा सौधारत्मक उपाय करने अथवा अन्य कोई संबद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करेगा| स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर इस संदर्भ में गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा| इसके अलावा, स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर को पार्टियों से विशिष्ट तरीके से काम करने, काम करने से दूर रहें अथवा कार्रवाई टालें कहने का कोई अधिकार नहीं है|

(7) प्रमुख से/शिकायत मिलने के संदर्भ में स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर आर आई एन एल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को चार (4) से छ: (6) सप्ताह के भीतर एक लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर के द्वारा समय आने पर प्रावधानों के उल्लंघन हेतु सुधारात्मक कार्रवाई अथवा अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन की जानकारी दी जाएगी|

(8) यदि गंभीर अनियमितताओं की आशंका हो और पी सी अधिनियम/लागू कानून के अनुसार मामला बनता हो तो आई ई एम सीधे आर आई एन एल के मुख्य सतर्कता अधिकारी और केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रतिवेदन भेज सकता है।

(9) आई ई एम के नियुक्ति की शर्तों के अनुसार आई ई एम का व्यय आर आई एन एल/वी एस पी के द्वारा वहन किया जाएगा|

(10) "मॉनीटर" शब्द का अर्थ स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर है, जो एकवचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होगा|

धारा 9 – सत्यनिष्ठा अनुबंध की अवधि :

(1) यह अनुबंध नियोक्ता और बोलीदाता/संविदाकार दोनों के हस्ताक्षर होने पर लागू होता है। यह संविदाकार के लिए संविदा के तहत अंतिम भुगतान के बाद बारह (12) के पश्चात और सभी असफल बोलीदाताओं के संदर्भ में तो, संविदा जारी करने के छः (6) महीनों के पश्चात समाप्त होता है तथा नियोक्ता के लिए ऊपर कथित अनुसार संबद्ध अवधियों की समाप्ति पर समाप्त होता है।

(2) यदि सत्यनिष्ठा अनुबंध की वैध अवधि के दौरान कोई दावा बनाया/दर्ज किया जाता है तो, वह ऊपर विनिर्दिष्ट अनुसार इस अनुबंध की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहेगा जब तक कि आर आई एन एल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा उसे खारिज/निर्धारित किया जाता है।

धारा 10 – अन्य प्रावधान:

(1) यह भारतीय कानून के अनुसार है। इसके निष्पादन और न्यायाधिकार क्षेत्र का स्थान नियोक्ता के पंजीकृत कार्यालय यानी विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश राज्य, भारत है।

(2) निष्कासन सूचनाओं के साथ परिवर्तन और अनुबंधों को लिखित रूप में बनाना चाहिए। इस अनुबंध के साथ अतिरिक्त करार नहीं बनाये गये।

(3) यदि संविदाकार की संस्था भागीदारी/संकाय संस्था हो तो, इस अनुबंध पर सभी भागीदारों/संकाय के सदस्यों, या अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकरण प्रस्तुत करते हुए हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

(4) इस अनुबंध के एक या कई प्रावधान अवैध के रूप में परिवर्तित होते हैं तो, अनुबंध का शेष भाग वैध रहेगा। ऐसी स्थिति में, पार्टियों को अपने मूल उद्देश्य के संबंध में करार बनाने का प्रयास करेंगे।

(5) उपर्युक्त धारा में जहाँ भी वह उल्लिखित है, उसे वह (पुरुष/महिला), जो भी मामला हो, के रूप में पढ़ा जाय। जहाँ भी काउंटर पार्टी या बोलीदाता या संविदाकार का उल्लेख है, वैसे ही उसमें दोनों एकवचन तथा बहुवचन शामिल होंगे।

(6) सत्यनिष्ठा अनुबंध लागू संविदाओं के संदर्भ में नियोक्ता तथा संविदाकार के बीच कोई विवाद उठता है तो, यदि दोनों पार्टियों के लिए स्वीकार योग्य हों तो, आई ई एम के पैनल के समक्ष जाने से पूर्व ही उन्हें निर्धारित समय सीमा में मध्यस्थता के माध्यम से निपटा सकते हैं। यदि अपेक्षित हों तो, इस आशय के लिए संगठन द्वारा कोई मध्यस्थता नियम बनाया जाए। विवाद के निपटान हेतु खर्च किए गए शुल्क/व्यय की राशि को दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जाना चाहिए।

यदि आई ई एम के पैनल द्वारा मध्यस्था द्वारा भी विवाद का निपटान नहीं होता तो, संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संगठन/नियोक्ता आगे की कार्रवाई कर सकता है।

_____	_____
(कृते एवं नियोक्ता की तरफ से)	(कृते एवं बोलीदाता/संविदाकार की तरफ से)
(कार्यालय सील)	(कार्यालय सील)

स्थान ----------
तारीख ----------

गवाही 1	गवाही 2
(नाम एवं पता)	(नाम एवं पता)
_____	_____
_____	_____

विदेशी (आपूर्तिकर्ताओं/संविदा अभिकरणों) के भारतीय अभिकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश

1.0 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/संविदा अभिकरणों के भारतीय अभिकर्ताओं को सभी वैश्विक (खुली) निविदाओं और सीमित निविदाओं के संबंध में आर आई एन एल के साथ अनिवार्यतः पंजीकरण किया जाना होगा। जो अभिकर्ता आर आई एन एल के साथ पंजीकृत नहीं है, उसे निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

1.1 पंजीकृत अभिकर्ता को आर आई एन एल द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व अभिकर्ता के करार की पुष्टि करते हुए और अभिकर्ता को उनके द्वारा कमीशन/पारितोषिका/वेतन/सेवा के रूप में प्राप्त लाभ की स्थिति का विवरण देते हुए उनके विदेशी आपूर्तिकर्ता/संविदा अभिकरण (या नोटरी पब्लिक द्वारा अधिप्रमाणित उपर्युक्त प्रमाणपत्र की प्राधिकृत नकल प्रति) द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.2 जहाँ भी विदेशी आपूर्तिकर्ता/संविदा अभिकरण और/या विदेशी आपूर्तिकर्ता/संविदा अभिकरण की ओर से भारतीय प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया जाता है कि वे भारतीय अभिकर्ता(ओं) को किसी कमीशन का भुगतान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेतन या सेवा के लिए भुगतान किया जा रहा है, संविदा को अंतिम रूप देने से पूर्व विदेशी आपूर्तिकार/संविदा अभिकरण द्वारा इस संबंध में एक लिखित घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

2.0 **भारत में अभिकर्ता(ओं)/प्रतिनिधि(यों) का प्रकटीकरण, यदि हों तो** ;

2.1 विदेशी राष्ट्रीयता के बोलीदाताओं को कोटेशन/बोली में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा :

2.1.1 भारत में उनके अभिकर्ता(ओं)/प्रतिनिधि(यों) का नाम और पता, यदि हों तो, और उन्हें प्रतिबद्ध करने के लिए प्राधिकरण और प्राधिकार की सीमा प्रस्तुत करनी होगी। यदि अभिकर्ता(ओं)/प्रतिनिधि(यों) विदेशी कंपनी के हों तो, उसे पुष्टि देनी होगी कि क्या वास्तव में यह ठोस कंपनी है और कंपनी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

2.1.2 भारत में ऐसे अभिकर्ता(ओं)/प्रतिनिधि(यों) के लिए कोट की गयी कीमत(तों) में कमीशन/पारितोषिका की राशि शामिल करनी होगी।

2.1.3 भारत में अपने अभिकर्ता(ओं)/प्रतिनिधि(यों) के लिए यदि देय योग्य कमीशन/पारिश्रमिक हों तो उसे बोलीदाताओं को आर आई एन एल द्वारा भारतीय रुपयों में भुगतान करने हेतु पुष्ट करना होगा।

3.0 **भारतीय अभिकर्ता(ओं) द्वारा अपने विदेशी आपूर्तिकर्ता/संविदा अभिकरण के विवरण का प्रकटीकरण और अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत किया जाना :**

3.1 भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाताओं को अपने प्रस्तावों में/के साथ निम्नलिखित विवरण/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा :

3.1.1 विदेशी आपूर्तिकर्ता/संविदा अभिकरण को अपनी स्थिति यानी विनिर्माता या प्राधिकरण पत्र के साथ विनिर्माता का अभिकर्ता के साथ उनकी राष्ट्रीयता सूचित करते हुए अपना नाम और पता सूचित करना होगा।

3.1.2 विदेशी आपूर्तिकर्ता/संविदा अभिकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि भारत में निविदाओं के उत्तर में प्रत्यक्ष रूप से या उनके अभिकर्ता(ओं)/प्रतिनिधि(यों) के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत है।

3.1.3 बोलीदाता के लिए कोट की गयी (कीमत(तों) में कमीशन/पारिश्रमिक शामिल करना होगा।

3.1.4 बोलीदाता के विदेशी आपूर्तिकर्ता/संविदा अभिकरण को पुष्ट करना होगा कि कोट की गयी कीमत(तों) में बोलीदाता के लिए आरक्षित कमीशन/पारिश्रमिक, यदि हों तो, उसकी समान राशि आर आई एन एल द्वारा भारतीय रुपयों में भुगतान किया जाय।

4.0 किसी भी स्थिति में, संविदा के संचालन के संदर्भ में, भुगतान से संबंधित निबंधनों में देय योग्य कमीशन/पारिश्रमिक, यदि हों तो, संविदा के निबंधनों के अनुसार भारतीय रुपयों में भारत में अभिकर्ता(ओं)/प्रतिनिधि(यों) को भुगतान का प्रावधान होगा।

4.1 विस्तृत रूप से सही जानकारी प्रस्तुत करने में असफल हों तो, आर आई एन एल द्वारा अनुच्छेद 2.0 और/या 3.0 में उल्लिखित अनुसार संबद्ध बोली अस्वीकरण के लिए बाध्य होगी या संविदा के संचालन के मामले में निष्कासन के लिए बाध्य होगी। इसके साथ, आर आई एन एल द्वारा व्यापार संपर्क पर प्रतिबंध लगाये जाने, नामित राशि का भुगतान आदि जैसी अन्य कार्रवाई की जायेगी।